Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2019: 6.251, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JUNE-JULY, 2021, VOL-9/46
https://doi.org/10.21922/srjhsel.v9i46.1542

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का ज्ञान बालकों के बौद्धिक विकास का पोषक

अशोक कुमार वर्मा

(वाणिज्य प्रवक्ता), चम्पा अग्रवाल इण्टर कॉलेज, मथुरा।

Email Id-ashokkverma325@gmail.com

Paper Received On: 25 JULY 2021
Peer Reviewed On: 31 JULY 2021
Published On: 1 AUGUST 2021

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

देश में भावनात्मक एकता और आधुनिक ज्ञान–विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सन् 1968 ई. में संसद के दोनों सदनों ने आम सहमति से त्रिभाषा सूत्र से सम्बन्धित संकल्प पारित किया था। इस संकल्प में स्कूली शिक्षा में मुख्यतः हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य रुप से पढ़ाने की बात स्वीकार की गयी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारुप में संस्कृत को भी अनिवार्य विषय के रुप में रखने का सुझाव दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र में हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक को पढ़ाने की बात की गई थी परन्तु हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी भाषाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत की भाषा के रुप में संस्कृत या उर्दू पढ़ाने की बात की जा सकती है। हिन्दी भाषी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र निम्न हो सकता है–

1. पहली भाषा– मातृभाषा के रुप में हिन्दी।
2. दूसरी भाषा– आधुनिक ज्ञान–विज्ञान, पुस्तकालय आदि की भाषा के रुप में अंग्रेजी।
3. तीसरी भाषा– संस्कृत, उर्दू या हिन्दी के अतिरिक्त भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा।

गैरहिन्दी भाषी क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र निम्न हो सकता है–

1. पहली भाषा– मातृभाषा के रुप में सम्बन्धित राज्य की राजभाषा।
2. दूसरी भाषा– आधुनिक ज्ञान–विज्ञान, पुस्तकालय आदि की भाषा के रुप में अंग्रेजी।
3. तीसरी भाषा– संस्कृत, उर्दू या उस राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त भारत देश की कोई भी क्षेत्रीय भाषा।

राष्टीय शिक्षा नीति–2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र पर तमिलनाडुराज्य तथा दक्षिण भारतीय राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

कर रही है। वास्तव में नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेण्डा–2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना तथा छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाया जाय, जिससे जीवंत समाज एक वैश्विक महाशक्ति में बदल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर बल देने का निर्णय लिया गया है। त्रिभाषा सूत्र तीन भाषाओं– 1.हिन्दी 2. अंग्रेजी, 3. सम्बन्धित राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं से सम्बन्ध रखता हे। त्रिभाषा सूत्र की चर्चा राधाकृष्णन आयोग (1948–49) की रिपोर्ट से ही प्रारम्भ हो गई थी। इसके बाद लक्ष्मण स्वामी मुदालियर (1955) ने प्राथमिक भाषा के साथ हिन्दी का अध्ययन और अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया गया परन्तु इसे धरातल पर नही लाया जा सका। वर्तमान नई शिक्षा नीति में त्रिभाषासूत्र क्या है?

1 पहली भाषा– मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
2 दूसरी भाषा– हिन्दी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाया अंग्रेजी होगी। गैर हिन्दी भाषी राज्यों में यह हिन्दी या अंग्रेजी होगी।
3 तीसरी भाषा– हिन्दी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर हिन्दी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।

त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार– भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी प्रमुख उपयोगिता बहुउद्देश्यीयता तथा राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। त्रिभाषा सूत्र का सबसे प्रमुख उद्देश्य हिन्दी व गैर हिन्दी भाषी राज्यों में भाषा के अन्तर को समाप्त करना है। वर्ष 1937 में प्रान्तीय चुनाव हुआ जिसमें मद्रास प्रेसीडेन्सी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ में आई। सन 1938 में मद्रास प्रेसीडेन्सी के लगभग 125 माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य भाषा के रुप में लागू कर दिया गया। तमिलों ने इसका विरोध किया जिसने एक जनआन्दोलन का रुप ले लिया। ब्रिटिश शासन ने सरकार के फैसले को वापस लेते हुए हिन्दी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। हिन्दी विरोधी आन्दोलन चलाकर ही द्रविण मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) नामक राजनीतिक दल तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई। दक्षिण भारतीय राज्यों ने सम्पर्क भाषा के रुप में अंग्रेजी को महत्व दिया। इस प्रकार दक्षिण भारतीय राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पर्यावरण के विकास में अंग्रेजी भाषा व तकनीकी ज्ञान का बहुत ज्यादा योगदान रहा। इस प्रकार हम समझ सकते है कि त्रिभाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अन्तर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

भारतीय संविधान की धारा–343, 348(2) तथा 351 का सारांश यह है कि– देवनागरी लिपि में लिखी और मूलतः संस्कृत से अपनी पारिभाषिक शब्दावली लेने वाली हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है। इसमें रोमन अंको का व्यवहार होगा। यद्यपि त्रिभाषा सूत्र संविधान में नही है। सन 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन किया गया। सन 1992 में संसद ने इसके कार्यान्वयन की संस्तुति भी की थी। त्रिभाषा सूत्र में 1. शास्त्रीय भाषाऐं जैसे– संस्कृत, अरबी, फारसी 2. राष्ट्रीय भाषाएँ, 3 आधुनिक यूरोपीय भाषाएँ। इस प्रकार इन तीन श्रेणियों में किन्हीं तीन भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव है। वैज्ञानिक डा० कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2019 के मसौदे में त्रिभाषा के फार्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर इस फार्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई है। इसके कार्यान्वयन में आने वाली सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के दक्षिणी राज्य जैसे– तमिलनाडु, पांडुचेरी, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्य आदि अपने स्कूलों में हिन्दी सिखाने के लिए तैयार नही है। इसी तरह हिन्दी भाषी राज्यों ने भी अपने स्कूलों के पाठयक्रम में किसी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल नही किया है। प्रायः देखने में आया है कि राज्य सरकारों के पास त्रिस्तरीय भाषाई फार्मूले को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नही है। त्रिभाषा फार्मूले में यह उल्लेख है कि तीन भाषाओं में से दो भारतीय भाषा होनी चाहिए, जिसमें अंग्रेजी को एक नही माना जायेगा। दो भारतीय भाषाओं को चुनने की स्वतंत्रता को राज्यों, क्षेत्रों या छात्रों पर छोड़ देना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा पॉच तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा को निर्देश माध्यम के रुप में उपयोगकरने की सलाह दी गई है। नई शिक्षा नीति के मसौदे में कहा गया है कि गैर हिन्दी भाषी राज्यों में छात्रों को हिन्दी के अलावा अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को भी तीन भाषा के फार्मूले का हिस्सा माना जाना चाहिए। कक्षा 6 में तीन भाषाओं में से एक को बदला जा सकता है। त्रिभाषा को लेकर कर्नाटक में भी हंगामा हुआ। सिद्दारमैया ने कहा– हमारी राय के खिलाफ कुछ नही किया जाना चाहिए। तीन भाषाओं की कोई जरुरत नही है। अंग्रेजी और कन्नड़ ही पर्याप्त है, कन्नड़ हमारी मातृभाषा है इसलिए कन्नड़ को प्रधानता दी जानी चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ताकि छात्रों की मौलिक रचनात्मक प्रतिभा का विकास हो लेकिन पुस्तकालय भाषा के रुप में अंग्रेजी की उपादेयता को देखते हुए अनिवार्य विषय के रुप में अंग्रेजी विषय के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था प्राथमिक स्कूलों में की जाय ताकि हमारे छात्र–छात्राएँ आरम्भ से ही आधुनिक ज्ञान–विज्ञान के अध्ययन में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों से आगे रहें। महाराष्ट्र में ऐसे कई विद्यालय हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम मराठी है लेकिन अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य विषय के रुप में की जाती है, वहॉ के छात्र–छात्राएँ अंग्रेजी माध्यम से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों से कहीं आगे निकल जाते हैं। हिन्दी से इतर प्रदेशों ने हिन्दी को तो हटा दिया। शिक्षा का माध्यम अपनी क्षेत्रीय भाषा को रखने के साथ अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य विषय

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

के रुप में जारी रखी, हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अंग्रेजी के साथ–साथ सांस्कृतिक विरासत की भाषा के रुप में संस्कृत या उर्दू पढ़ाने की बात की जा सकती है। गैरहिन्दी भाषी राज्य हिन्दी का विरोध करते हैं, सिर्फ सियासी राजनीति के लिए उस भाषा का विरोध करना कहॉ तक उचित है, जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। भाषा के साथ हमारे संस्कार और हमारी परम्पराऍ जुड़ी होती है। जिनसे हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। नई शिक्षा नीति में शिल्प और कौशल विकास को अधिक महत्व दिया गया है। हम जितनी अधिक भाषाऍ सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। इजरायल ने बहुत कम समय में अपनी इच्छा शक्ति से अपनी मातृभाषा के गौरव को प्राप्त किया। अंग्रेजी भाषा से व्यावसायिक तौर पर लाभ उठाया जा सकता है, और उठाना भी चाहिए परन्तु राष्ट्रभाषा के माध्यम से एकजुटता तथा अनेकता में एकता को और सुदृढ़ किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिन्दी भाषा को किसी पर थोपा नही गया है। अगर हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करनी है तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटा होगा। जो शिल्प कलाऍ, हस्तकलाऍ ग्रामीण उद्योग खत्म होने के कगार पर हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। युवाशक्ति व श्रम का उपयोग करके देश से बेरोजागारी दूर करना होगा। युवा पीढ़ी को नई सोच, नई दिशा के साथ उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिन्दी व गैरहिन्दी भाषी राज्यों में भाषा के अन्तर को समाप्त करना है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहॉ कहा जाता है **"कोस–कोस पर बदले पानी–चार कोस पर वानी"**। जाति, धर्म, पंथ, सम्प्रदाय, बोली, भाषा, रहन–सहन, पहनावा, खान–पान, रीति–रिवाज, व्रत–त्यौहार, उत्सव आदि–आदि अनेक चीजों में भले ही अन्तर हो, पर सम्पूर्ण भारत के लोग गर्व से कहते है–**"मेरा भारत महान है, हमें भारतीय होने पर गर्व है"**। यही भावना हम भारतीयों में अनेकता में एकता स्थापित करती है। त्रिभाषा सूत्र भी इसी एकता को स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज देश को राष्ट्रीय एकीकरण की जरुरत है, राष्ट्रगौरव तथा अस्मिता की पहचान सुरक्षित रखने हेतु त्रिभाषा सूत्र बच्चों के बौद्धिक विकास को एक नया आयाम प्रदान करेगा।

सन्दर्भ–

त्रिभाषा फार्मूला–drishtiias.com 7 june-2019
त्रिभाषा सूत्र– महत्व और चुनौतियॉ–drishtiias.com 8 August -2020
त्रिभाषा सूत्र– विकिपीडिया–hi.m. Wikipedia.org
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो परन्तु अंग्रेजी भी अनिवार्य हो–m-hindi.webdunia.com

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language